इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 218] भोपाल, मंगलवार, दिनांक 1 मई 2012—वैशाख 11, शक 1934

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 1 मई 2012

क्र. बी-4-02-2012-2-पांच-(16).—भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ. बी-4-02-2012-2-पांच-(16) दिनांक 30 मार्च, 2012 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, शब्द, अंक, कोष्ठक और अक्षर "अनुच्छेद 5 के खण्ड (क)" के स्थान पर, शब्द, अंक, कोष्ठक और अक्षर "अनुच्छेद 5 के खण्ड (घ)" स्थापित किए जाएं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एन. के. जैन, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 1 मई 2012

क्र. बी-4-02-2012-2-पांच-(16).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग का संशोधित आदेश क्रमांक एफ. बी-4-02-2012-2-पांच-(16), दिनांक 1 मई 2012 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एन. के. जैन, उपसचिव.

Bhopal, the 1st May 2012

No. F-B-4-02-2012-2-V (16).—In exercise of powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. II of 1899), the State of Government, hereby, makes the following further amendment in this Departments Notification No. F-B-4-02-2012-2-V (16), dated 30th March, 2012, namely :—

AMENDMENT

In the said notification, for the words, bracket, letter and figure "clause (a) of article 5" the words, bracket, letter and figure "clause (d) of article 5" shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
N. K. JAIN, Dy. Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.